

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:एफ. 89/सामा./स्वा.का.पु./2018/2439

दिनांक : 11/10/18

आदेश

श्री सत्यनारायण शर्मा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरस्थाना जिला झालावाड ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड के पत्रांक 43 दिनांक 04.06.18 के परिपेक्ष्य में दिनांक 11.09.18 को अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशालय में उपस्थिति प्रस्तुत की है।

अतः श्री शर्मा का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) के रिक्त पद पर किया जाता है।

^ह
(राकेश शर्मा)


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

दिनांक : 11/10/18

क्रमांक:एफ. 89/सामा./स्वा.का.पु./2018/2439

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा/जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड को उनके पत्रांक 43 दिनांक 04.06.18 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके पत्र में वर्णित आरोपों के अनुरूप कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 16 में कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र मय परिशिष्ट अ, ब, स, द तीन-2 प्रतियों में भेजना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरस्थाना जिला झालावाड।
5. श्री सत्यनारायण शर्मा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) को पालनार्थ।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।
7. Website upload


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर